

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

-:: द्वितीय वाहन नीलामी विज्ञप्ति ::-

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि जिला न्यायालय परिसर देवास में अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क्रमांक M.P. 02 H.C. 0263 टाटा इण्डिगो CS GLS, M.P. 02 H.C. 00235 महिन्द्रा जायलो, M.P. 02 H.C. 0191 महिन्द्रा जायलो का जहाँ है, जिस स्थिति में है, उपरोक्त अनुसार विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहनों का प्रकार एवं मॉडल	वाहन का अपसेट कीमत राशि रुपये	अपसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि रुपये नगद जमा करना है	वाहन कहाँ रखा हुआ है।
01	M.P.02 H.C.0263	टाटा इण्डिगो एवं वर्ष 2012	45,000 /-	4,500 /-	जिला न्यायालय देवास
02	M.P.02 H.C. 0235	महिन्द्रा जायलो एवं वर्ष 2011	45,000	4,500 /-	जिला न्यायालय देवास
03	M.P.02 H.C. 0191	महिन्द्रा जायलो एवं वर्ष 2010	43,000	4,300 /-	सिविल न्यायालय, कन्नौद

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, उपरोक्त वर्णित शासकीय वाहनों को कय करना चाहता है, वह दिनांक 17.11.2025 को जिला न्यायालय परिसर देवास (म.प्र.) में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है।

इस हेतु विस्तृत विवरण जिला एवं सत्र न्यायालय देवास के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही विस्तृत नीलामी विज्ञप्ति दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in/tenders एवं dewas.dcourts.gov.in/document-category/tender पर देखा जा सकता है।


(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

नीलामी/विक्रय की शर्त :-

01. शासकीय वाहनों की नीलामी के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहनों का प्रकार एवं मॉडल	वाहन का अपसेट कीमत राशि रुपये	अपसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि रुपये नगद जमा करना है	वाहन कहाँ रखा हुआ है।
01	M.P.02 H.C.0263	टाटा इण्डिगो एवं वर्ष 2012	45,000/-	4,500/-	जिला न्यायालय देवास
02	M.P.02 H.C. 0235	महिन्द्रा जायलो एवं वर्ष 2011	45,000	4,500/-	जिला न्यायालय देवास
03	M.P.02 H.C. 0191	महिन्द्रा जायलो एवं वर्ष 2010	43,000	4,300/-	सिविल न्यायालय, कन्नौद

अपलेखन मूल्य से अधिकतम बोली लगाने पर ही बोली समाप्त की जावेगी। उपरोक्त तिथि को नीलामी समाप्त नहीं हो पाने पर नीलामी अगली तिथि तक बढ़ाई जावेगी।

02. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 17.11.2025 से एक कार्य दिवस पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जाएगा।

03. उपरोक्त तालिका के क्रमांक 01 व 02 में वर्णित वाहनों के देखने के लिये जिला नाजिर, नजारत अनुभाग देवास एवं क्रमांक 03 में वर्णित वाहन को नायब नाजिर, नजारत अनुभाग कन्नौद से कार्यालयीन समय में संपर्क स्थापित कर देखा जा सकता है।

04. तीनों वाहनों को एक साथ कय करने हेतु नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं है। आंशिक रूप से किसी एक या दो वाहनों के लिये भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

05. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।

06. उपरोक्त तीनों वाहनों की संयुक्त रूप से खुली नीलामी/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामीकर्ता/न्यायालय कर्मचारी जिला नाजिर/सेल अमीन, जिला न्यायालय, देवास के पास अपसेट मूल्य की 10 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा करानी होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता

की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

07. नीलामी बोली स्वीकृत होने पर वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 07 दिवस के अंदर नियमानुसार ऑनलाईन ई-चालन के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा। चालान की स्वहस्ताक्षरित प्रति नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, देवास में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

08. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

09. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी गठित, नीलामी समिति, जिला न्यायालय देवास विक्रय की शर्तों में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकारी होगा।

10. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय, देवास द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर सात दिवस के भीतर जिला न्यायालय देवास से ले जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में 100/- रुपये प्रतिदिवस की दर से प्रतिभूति शुल्क जमा करना होगा।

11. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

12. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण/हस्तांतरण/नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं करना होगा।

समस्त दस्तावेजों की प्रति को कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय देवास का होगा।

13. यदि वाहन का पंजीयन/नवीनीकरण नहीं कराया जाता है और वाहन को स्क्रेप किया जाना है, तो उस स्थिति में शासन के नियमानुसार पंजीकृत स्क्रेपर से स्क्रेप करवाया जाकर प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

14. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग, देवास में जमा की जावेगी।

15. उक्त विज्ञप्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं dewas.dcourts.gov.in/document-category/tender पर उपलब्ध है।


(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)